कोयले की कीमतों में वृद्धि तथा घटिया क्वालिटि के कोयले की आपूर्ति के कारण इस्पात की निर्माण-लागत में वृद्धि होना

*159. श्री राम जेठमलानी: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 अक्तूबर, 1996 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सेल नोट टू पे फार सी॰आई॰एल॰एस॰ इनएफीसिएन्सी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कोयले की कीमतों में हो रही निरन्तर वृद्धि और राख मिले घटिया कोयले की आपूर्ति के कारण देश में इस्पात की निर्माण-लागत में वृद्धि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो गत कुछ महीनों के दौरान कोयले की कीमतों में दो बार की गई वृद्धि के कारण इस्पात की निर्माण-लागत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) से (ग) जी, हां। अकेले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के मामले में यह अनुमान लगाया गया है कि दिनांक 1.4.1996 और 20.10.1996 को स्वदेशी कोयले के मूल्य में हुई वृद्धि का इस्पात की उत्पादन लागत पर वार्षिक प्रभाव 410 करोड़ रुपए होगा।

Delicensing of sugar and some other industries

*160. SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal to delicence the sugar industry and some other industries which are presently under the licence system; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) Review of delicensing, industries is a continuous process and sugar industry is one among them which is being considered.

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS

Proposal to wind-up the BIFR

923. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether in order to remove industrial sickness, the Government have mooted a proposal to wind-up the functioning of the BIFR;

(b) if so, whether the BIFR have dragged the PSUs into more sickness rather than their revival during the past few years;

(c) whether the Government propose to adopt any alternative to BIFR to save the sick PSUs; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (d) Government have initiated a review of sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (SICA) and the working of the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) with the intention to bring a new Bill in the Parliament.

Capacity utilisation by wagon units

924. PROF. NAUNIHAL SINGH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the number of public sector wagon units and capacity of each unit;

(b) the performance of these units so far as capacity utilisation is concerned;

(c) whether there is a proposal to set up a wagon factory in Bihar;

(d) if so, the details thereof;

(e) whether wagon units are facing problems for want of order; and

(f) if so, how the Government propose to* solve this problem to help the wagon units?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a);—

SI. No.	Name of Public Sector Wagon Units	(Licensed Capacity in terms of FWUs)
1.	Bharat Wagon & Engineering Company Ltd. (Muzaffarpur)	2000
2.	Bharat Wagon & Engineering Company Ltd. (Mokameh)	2000
3.	Braithwaite & Company Ltd. (Calcutta)	3000
4.	Burn Standard Company Ltd. (Burnpur)	3911
5.	Bum Standard Company Ltd. (Howrah)	4750
6.	Jessop & Company Ltd. (Calcutta)	3279
7.	Southern Structural Company Ltd. (Madras)	2000

(b) The capacity utilisation of these units, excluding Southern Structurals Company Ltd., varies from a peak of 63.36% during 1992-93 to 44.72% during 1995-96.

(c) and (d) No proposal for setting up a wagon factory has been received in this Ministry.

(e) There is no shortage of wagon orders-at present.

(f) Does not arise in view of (e) above.

राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 में परिवर्तन

925. श्री शिव चरण सिंह: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994 में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई "खान एवं खनिज अधिनियम, 1957" का संशोधन करने वाली अधिसूचना का स्थान लेने वाले "खान और खनिज" (विनियमन एवं विकास) अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 में किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हीरा, यूरेनियम एवं सोने जैसे बहुमूल्य खनिजों के संबंध में नीतिगत निर्णय लेने की शक्ति केन्द्रीय सरकार के पास है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने देवभोग हीरा खान को पट्टे पर देने के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार को अपनी स्वीकृति दे दी है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा वर्ष 1993 में की गई और 5 मार्च, 1993 को इसे सभा के पटल पर रख दिया गया था। इस नई नीति के तहत खनिज क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, घरेलू और विदेशी दोनों पूंजी निवेश और आधुनिक प्रौद्योगिकी आदि के प्रवाह की गति प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता हेतु 13 खनिजों का आरक्षण समाप्त किया जाना शामिल है। इसके अलावा, वर्ष 1994 में खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन करके इस नीति में उपयुक्त परिवर्तन भी किए गए हैं।

(ख) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टे प्रदान किए जाते हैं। पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टे की अनुमति के लिए आवेदन पत्र राज्य सरकार को ही देना होता है। चूंकि हीरे आदि जैसे खनिज, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची में शामिल हैं इसलिए कानून के प्रावधानों के अनुसार पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टा प्रदान करने से पहले इनके लिए केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

(ग) जी, नहीं।

मध्य प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में आदिवासियों हेतु विकास-योजना

926. श्री अजीत जोगी: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों के लाभार्थ सुदूर क्षेत्रों के लिए विकास योजना कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान उक्त योजना हेतु कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान का गई;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान केन्द्र द्वारा प्रदत्त सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) से (घ) सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है और इसके प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।